



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीदजीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016

दूरभाष /Tel-26858570, फैक्स/FAX-26514179, वैबसाइट www.kvsangathan.nic.in

F. 11055-1/2016-KVS(HQ)/RPS/LDE/FO&SO/ई-प्रवेश पत्र/14/9

दिनांक: 18-05-2018

उपायुक्त/ निदेशक,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/ ZIETs।

विषय: वित्त अधिकारी (FO) एवं अनुभाग अधिकारी (SO) के पदों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा (LDE)-2018 की परीक्षा का आयोजन दिनांक 06-06-2018 (Wednesday) को निश्चित होने व KVS के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रतिभागियों को परीक्षा केंद्र में प्रस्तुत करने हेतु प्रमाण पत्र निर्गत करने के बारे में।


महोदया/ महोदय,

उक्त विषय पर इस कार्यालय की संमसंख्यक अधिसूचना पत्र दिनांकित 17-04-2018 के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि सीमित विभागीय परीक्षा (वित्त अधिकारी & अनुभाग अधिकारी)-2018 हेतु संगणक के माध्यम से परीक्षा (Computer based Test/ Examination) के लिए एकमात्र परीक्षा केंद्र दिल्ली में दिनांक 06-06-2018 को होनी पूर्वनिश्चित है।

इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा के प्रतिभागियों को उनके द्वारा LDE (FO&SO)-2018 में आवेदित पद (i.e. FO/ SO) की परीक्षा में भाग लेने के लिए KVS के नियंत्रण अधिकारियों (अथवा प्रभारी) द्वारा अधिसूचित प्रत्येक रिक्ति वर्ष के लिए उनकी पात्रता, योग्यता व प्रतिभागिता सत्यापित करते हुए विनिर्दिष्ट संरूप (प्रति संलग्न) में प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना है जिसको प्रतिभागी द्वारा ई-प्रवेश पत्र के साथ दिल्ली स्थित परीक्षा केंद्र में प्रवेश लेने के लिए अनेवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।


अतः आप से अनुरोध है कि इस संबंध में अविलंब विशेष प्रयास कर, किसी भी प्रकार कि त्रुटि/ विवाद कि संभावना को समाप्त करते हुए, अपने अधीनस्थ विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न: उपयोगार्थ प्रमाण पत्र का संरूप

भवदीया,

(डा. श्रीमती वी. विजयलक्ष्मी)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

- 1) उपायुक्त (शैक्षणिक/ ईडीपी), के.वि.सं. (मुख्यालय) - के.वि.सं. वेबसाइट में "घोषणा" और "सीमित विभागीय परीक्षा" में "शैक्षणिक पदों के लिए सी.वि.प्र.परीक्षा-2018 के संबंध में" अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- 2) सहायक आयुक्त (स्था. I), के.वि.सं. (मुख्यालय), नई दिल्ली।
- 3) सहायक आयुक्त (स्था. II और III), के.वी.एस (मुख्यालय), नई दिल्ली।
- 4) प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, मारको/ तेहरान/ काठमांडू को आवश्यक कारवाई हेतु।


संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

CERTIFICATE to be furnished with Admit Card
regarding Verification from the Competent Authority of KVS
issued to Candidate for appearing in LDE(NT)-2018 for the post of
FINANCE OFFICER/ SECTION OFFICER.

1. Sh./ Smt./ Kumari _____ (name of employee) Employee Code _____ is working as _____ (Name of the post held) in KV/KVS(HQ)/KVS(RO)/KVS,ZIET/ _____.
2. The particulars filled by the employee have been cross checked from his/her service records and copy of ONLINE Application as submitted by him as per the Notification issued for the LDE and Recruitment Rules of KVS as applicable and found correct.
3. He/she is eligible for the post applied (i.e. _____) through Limited Departmental Examination as per details given below:

ELIGIBILITY in r/o Working Experience/ Qualification for Finance/Section Officer LDE-2018

PASTE Recent Passport Size Photograph of the Candidate duly ATTESTED by the Competent Authority of KVS	Worked as a Regular	Date From DD/MM/YYYY	Date To DD/MM/YYYY	Total Length of Service in			Date of acquiring GRADUATION Degree as supported and printed on/by Marksheet/ Certificate DD/MM/YYYY
				Years	Months	Days	
	ASSISTANT						
	STENO Grade-I						
	Hindi Translator						
	Total Qualifying Regular service						
Candidate's Signature							

Eligibility regarding length of service & Qualification will be reckoned/ decided as under:

LDE Recruitment Year	Crucial Date for deciding ELIGIBILITY	Eligible for LDE (NT)-2018 for the Post of	
		FINANCE OFFICER	SECTION OFFICER
2013-14.	01-01-2013	(Yes/No)	(Yes/No)
2014-15.	01-01-2014	(Yes/No)	(Yes/No)
2015-16.	01-01-2015	(Yes/No)	(Yes/No)
2016-17.	01-04-2016	(Yes/No)	(Yes/No)
2017-18.	01-04-2017	(Yes/No)	(Yes/No)
2018-__	01-04-2018	(Yes/No)	(Yes/No)

4. No Disciplinary/ Vigilance case is pending/ contemplated against him/her.
5. He/she is not under currency of any penalty.
6. The details of disciplinary/ vigilance case contemplated or currency of penalty, if any:-

Signature of the Principal/ Deputy Commissioner/ Director of KVS with Date & Seal.